

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या- 08 / सेक-2-पाँच-17-1(5) / 2016
लखनऊ :: दिनांक : 02 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 14.12.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- विभागीय चयन समिति की बैठक के समय त्रुटिवश डा0 विनोद कुमार (वरि0क0-10870) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की सूचना अंकित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी संस्तुति "बन्द लिफाफे" में रखी गयी है।

3- अतः डा0 विनोद कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित न होने के कारण पदोन्नति सम्बन्धी बन्द लिफाफा खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 विनोद कुमार (वरि0क0-10870) को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 राजीव द्विवेदी (वरि0क0-10872) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.01.2017 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


4- डा0 विनोद कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

पी0 लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या- 08 (1) / सेक-2-पाँच-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बलिया।
- 7- कोषाधिकारी, बलिया।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-3।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या- 09 / सेक-2-पॉच-17-1(5) / 2016
लखनऊ :: दिनांक : 02 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 14.12.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- विभागीय चयन समिति की बैठक के समय त्रुटिवश डा0 उदयनाथ (वरि0क0-10724) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की सूचना अंकित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी संस्तुति "बन्द लिफाफे" में रखी गयी है।

3- अतः डा0 उदयनाथ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित न होने के कारण पदोन्नति सम्बन्धी बन्द लिफाफा खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 उदय नाथ (वरिष्ठता क्रमांक-10724) को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 अश्वनी कुमार (वरि0क0-10726) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.01.2017 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- डा0 उदय नाथ की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

पी0 लाल

संयुक्त सचिव।

संख्या- 09 (1) / सेक-2-पॉच-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई।
- 7- कोषाधिकारी, हरदोई।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-3।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जे0एल0 यादव)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या- 10 / सेक-2-पॉच-17-1(5)/2016
लखनऊ :: दिनांक : 02 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 14.12.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- विभागीय चयन समिति की बैठक के समय त्रुटिवश डा0 राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल (वरि0क0-9825क) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की सूचना अंकित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी संस्तुति "बन्द लिफाफे" में रखी गयी है।

3- अतः डा0 राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित न होने के कारण पदोन्नति सम्बन्धी बन्द लिफाफा खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल (वरि0क0-9825क) को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 दुर्गेश कुमार (वरि0क0-9826क) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.01.2017 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


4- डा0 राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

पी0 लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या- 10 (1) / सेक-2-पॉच-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- 6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त जिला चिकित्सालय, अम्बेडकरनगर।
- 7- कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-3।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 14.12.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- विभागीय चयन समिति की बैठक के समय त्रुटिवश डा0 दीपेन्द्र सिंह (वरि0क0-10232) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की सूचना अंकित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी संस्तुति "बन्द लिफाफे" में रखी गयी है।

3- अतः डा0 दीपेन्द्र सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित न होने के कारण पदोन्नति सम्बन्धी बन्द लिफाफा खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 दीपेन्द्र सिंह (वरि0क0-10232) को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 अरविन्द कुमार चौधरी (वरि0क0-10234) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.01.2017 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- डा0 दीपेन्द्र सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

पी0 लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-11 (1) / सेक-2-पाँच-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा।
- 6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त जिला चिकित्सालय, चित्रकूट।
- 7- कोषाधिकारी, चित्रकूट।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-3।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या- 12 / सेक-2-पाँच-17-1(5)/2016
लखनऊ :: दिनांक : 02 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 14.12.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- विभागीय चयन समिति की बैठक के समय त्रुटिवश डा0 विवेक कुमार मिश्रा (वरि0क0-9857) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की सूचना अंकित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी संस्तुति "बन्द लिफाफे" में रखी गयी है।

3- अतः विवेक कुमार मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित न होने के कारण पदोन्नति सम्बन्धी बन्द लिफाफा खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार विवेक कुमार मिश्रा (वरि0क0-9857) को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 राजेश श्रीवास्तव (वरि0क0-9858) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.01.2017 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


4- डा0 विवेक कुमार मिश्रा की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

पी0 लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-12 (1)/सेक-2-पाँच-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद।
- 7- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-3।
- ✓ 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या- 13 / सेक-2-पाँच-17-1(5)/2016

लखनऊ :: दिनांक : 02 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 14.12.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- विभागीय चयन समिति की बैठक के समय त्रुटिवश डा0 जगदीश प्रसाद (वरि0क0-10315) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की सूचना अंकित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी संस्तुति "बन्द लिफाफे" में रखी गयी है।

3- अतः डा0 जगदीश प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित न होने के कारण पदोन्नति सम्बन्धी बन्द लिफाफा खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 जगदीश प्रसाद (वरि0क0-10315) को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 धर्मवीर सिंह (वरि0क0-10316) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.01.2017 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- डा0 जगदीश प्रसाद की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

पी0 लाल

संयुक्त सचिव।

संख्या- 13 (1)/सेक-2-पाँच-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली।
- 6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पीलीभीत।
- 7- कोषाधिकारी, पीलीभीत।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-3।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या- 14 / सेक-2-पॉच-17-1(5) / 2016
लखनऊ :: दिनांक : 02 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 14.12.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- विभागीय चयन समिति की बैठक के समय त्रुटिवश डा0 रामबदन राम (वरि0क0-10202) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की सूचना अंकित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी संस्तुति "बन्द लिफाफे" में रखी गयी है।

3- अतः डा0 रामबदन राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित न होने के कारण पदोन्नति सम्बन्धी बन्द लिफाफा खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 रामबदन राम (वरि0क0-10202) को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 कृष्ण अवतार (वरि0क0-10203) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.01.2017 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- डा0 रामबदन राम की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

पी0 लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या- 14 (1) / सेक-2-पॉच-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- 6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 शैय्या, संयुक्त चिकित्सालय, बाराबंकी।
- 7- कोषाधिकारी, बाराबंकी।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-3।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से
14
(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या- 15 / सेक-2-पॉच-17-1(5)/2016
लखनऊ :: दिनांक : 02 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 14.12.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- विभागीय चयन समिति की बैठक के समय त्रुटिवश डा0 जी0के0 मिश्रा (वरि0क0-9950) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की सूचना अंकित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी संस्तुति "बन्द लिफाफे" में रखी गयी है।

3- अतः डा0 जी0के0 मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित न होने के कारण पदोन्नति सम्बन्धी बन्द लिफाफा खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 जी0के0 मिश्रा (वरि0क0-9950) को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 वीरेन्द्र कुमार सिंह (वरि0क0-9951) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.01.2017 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- डा0 जी0के0 मिश्रा की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

पी0 लाल

संयुक्त सचिव।

संख्या- 15 (1) / सेक-2-पॉच-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 7- कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-3।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जे0एल0 यादव)

अनु सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 14.12.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- विभागीय चयन समिति की बैठक के समय त्रुटिवश डा0 मनोज कुमार मिश्रा (वरि0क0-9900) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की सूचना अंकित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी संस्तुति "बन्द लिफाफे" में रखी गयी है।

3- अतः डा0 मनोज कुमार मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित न होने के कारण पदोन्नति सम्बन्धी बन्द लिफाफा खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 मनोज कुमार मिश्रा (वरि0क0-9900) को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 शेखर यादव (वरि0क0-9903) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.01.2017 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


4- डा0 मनोज कुमार मिश्रा की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

पी0 लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या- 16 (1) / सेक-2-पॉच-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मीरजापुर।
- 7- कोषाधिकारी, मीरजापुर।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-3।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

मे

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या- 17 / सेक-2-पॉच-17-1(5)/2016
लखनऊ :: दिनांक : 02 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 14.12.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- विभागीय चयन समिति की बैठक के समय त्रुटिवश डा0 विक्रम सिंह (वरि0क0-10068) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की सूचना अंकित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी संस्तुति "बन्द लिफाफे" में रखी गयी है।

3- अतः डा0 विक्रम सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित न होने के कारण पदोन्नति सम्बन्धी बन्द लिफाफा खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 विक्रम सिंह (वरि0क0-10068) को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 परितोष कुमार सिंह (वरि0क0-10069) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.01.2017 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक (वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


4- डा0 विक्रम सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

पी0 लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या- 17 (1) / सेक-2-पॉच-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ, मण्डल, मेरठ।
- 6- प्रमुख अधीक्षक, पी0एल0 शर्मा, मण्डलीय चिकित्सालय, मेरठ।
- 7- कोषाधिकारी, मेरठ।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-3।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।